न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

प्रकरण संख्या :- 59/2015

दायर दिनांक :- 09.09.2015

निर्णय दिनांक :- 19.04.2021

प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण

1. कल्याणमल पिता देवीलाल यादव
निवासी - जाशमा
तहसील - भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

1. दिनेश पिता रूपा यादव
2. प्रभुलाल पिता रूपा यादव
3. नरेन्द्र पिता रूपा यादव
4. अरुण पिता रूपा यादव
5. कमली बाई बेवा रूपा यादव
6. कंकु बाई पुत्री रूपा यादव
7. गीता पुत्री रूपा यादव
निवासीयान - कुंवारिया
तहसील - रेलमगरा (राजसमंद)
8. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर
9. पटवारी प०ह० - जाशमा
तहसील - भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा - 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति - श्री नारायणलाल जाट वकील प्रार्थी
श्री एस० के० बापना वकील अप्रार्थी
श्री कृष्णचन्द्र तुलछिया वकील प्रार्थी

* निर्णय *

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) 19.4.21

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा - 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :-

(1) यह है कि ग्राम जाशमा ... जाशमा तहसील भूपालसागर के हल्के जैरुनी ... रकबा 0.90 हैक्टर, आराजी ... रकबा 1.033 हैक्टर ... रकबा ... हैक्टर भूमि स्थित है जिसे आगे वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया। वर्तमान में उक्त आराजियात रूपा पिता वेणा यादव के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है लेकिन रूपा की मृत्यु हो जाने से रूपा के विधि

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वारिसान प्रतिप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 7 तक बनाये गये है।

(2) यह है कि प्रार्थना-पत्र मे वर्णित आराजियात 60 वर्ष से प्रार्थी के दादा के कब्जे काश्त रही है तथा इसके बाद प्रार्थी के पिता देवीलाल उक्त आराजियात पर 40-45 वर्ष पूर्व कृषि कार्य करते रहे है। उक्त आराजीयात को रुपये लगाकर प्रार्थी के पिता ने ही ऊपजाऊ बनाया है। वादग्रस्त आराजियात पर स्वयं प्रार्थी का 20 वर्षो से कब्जा-काश्त है। वादग्रस्त आराजियात पर विगत 60 वर्षो से प्रार्थी के दादा, पिता व स्वयं प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जबकि किसी भी आराजी पर 12 वर्षो से अधिक समय तक कब्जा होने पर एडवर्स पजेशन के आधार पर उस व्यक्ति का हक अधिकार बन जाता है जो आराजियात पर काबिज होता है। आज तक अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जेशुदा वादग्रस्त आराजियात पर कोई हक व अधिकार नही जताया है ना ही कभी उक्त भूमि पर काश्त की है। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात की खातेदारी की घोषणा कराये जाने का वैधानिक अधिकार रखता है।

(3) यह है कि प्रार्थी के पास वादग्रस्त आराजियात के अलावा ओर कोई कृषि आराजियात नही है। प्रार्थी के परिवार का भरण पोषण इसी आराजियात से चलता है। अप्रार्थीगण सिर्फ राजस्व रेकर्ड में भूमि अपने नाम होने से किसी अन्य को विक्रय करना चाहते है जो गलत है। अतः प्रार्थी ने विरुद्ध अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश फरमाने बाबत निवेदन इस अमर का किया कि वादग्रस्त आराजियात का किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण विक्रय, वसीयत, दान कर खुर्द-बुर्द ना करें एवं अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करें। अप्रार्थी संख्या-8 किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन न तो स्वयं करे ना ही किसी अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर या एजेन्ट से करावे। अप्रार्थी संख्या-9 किसी भी प्रकार का नामान्तरण उक्त आराजियात संबंधित भर कर फैसल न करावे न ही राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करावें।

इस पर प्रार्थी ... प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की तरफ से वकील ... ने अपना वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या-8 की तरफ से वकील श्री सुरेश कुमार बापना ने अपना वकालतनामा पेश किया।

—— लगातार——

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ... जिला-चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी द्वारा रूपलाल तथा रहमान के शपथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल खसरा गिरदावरी मौजा जाशमा की संवत 2049 से 2063 की फोटो प्रति पेश की। नकल मिलान शीट की फोटो प्रति पेश की गयी। वकील उभय पक्ष बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि मौजा जाशमा की वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी 60 वर्षों से काबिज है तथा इतने वर्षों से कृषि कार्य भी प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। इसको उपजाऊ बनाने हेतु 20 वर्ष पूर्व खर्चा भी प्रार्थी द्वारा किया गया। वाद से पूर्व अप्रार्थीगण इस आराजीयात पर कभी नहीं आये। वादग्रस्त भूमि अभी प्रार्थी द्वारा सिजारे पर दे रखी है। सिजारे का सहमति-पत्र भी प्रार्थी के पास मौजुद है। वाद में मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न है। एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रार्थी काबिज है। पूर्वजो के समय से हम उक्त भूमि पर काबिज है तथा प्रार्थी के परिवार का भरण-पोषण भी उक्त वादग्रस्त आराजियात पर निर्भर है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। आज से पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि बाबत कभी कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया गया। कब्जा साक्ष्य दस्तावेजों से निर्धारित होगा तब तक अप्रार्थीगण भूमि का बेचान ना कर दे जिससे अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा लगान भी अप्रार्थीगण अदा कर रहे है। प्रार्थी अनाधिकृत रूप से हमारी भूमि मे प्रवेश करना चाहते है। प्रार्थी के पास कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। सहमति-पत्र प्रार्थी ने अभी कूटरचित बनवाया है। प्रार्थी ने 2012 से अभी तक कमिश्नर नियुक्त नहीं करवाया है। अप्रार्थीगण ने थाने मे भी रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन निषेधाज्ञा के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। अप्रार्थीगण की भूमि को सिजारे पर देने का कोई अधिकार प्रार्थी को नहीं है। धारा-35 Evidence Act के अनुसार जिसके नाम भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होती है वो ही मालिक होगा। खण्डन (Rebuttal) बहस मे वकील प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगण ने 60 वर्षों मे कभी भी यह नहीं दोहराया कि हमारी जमीन को सिजारे पर क्यो दिया है। बहस के साथ ही प्रार्थी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय "रविन्द्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर" 07 अगस्त 2019 व "श्री उत्तमचन्द बनाम नाथूराम"

—— लगातार

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिविल अपील न० 190/2020 (एसएलपी न० 16221/2011) के निर्णय की प्रतियाँ पेश की। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी खण्डन (Rebuttal) बहस में बताया कि अप्रार्थीगण रेकॉर्ड खातेदार है फिर भी निषेधाज्ञा के कारण वह अपनी भूमि का बेचान नहीं कर पा रहे है अत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के साथ दस्तावेजों के रूप मे RRD 1935 पेज 613, RRT 2018-19 पेज न० 69, RRT 2005(2) पेज न०-1431, RRT 2006(2) पेज न० 1410-11, RRT 2021(1) पेज न०-35, 36, RRT 2008(2) पेज न०-1448-56 पेश किये।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होते है। अप्रार्थीगण रेकॉर्ड खातेदार है और रेकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण रेकॉर्ड खातेदार होते हुए भी स्टे के कारण अपनी भूमि का बेचान इत्यादि नहीं कर पा रहे है अतः अपूरणीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थीगण को हो रही है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी रेकॉर्ड खातेदार नहीं है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, वकील उभय पक्ष की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:35 IST
Reason: SelfAttested

13.4.21
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner